

आयुष्मान भारत, मध्यप्रदेश
दीनदयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद
प्रथम तल, आई.ई.सी. ब्यूरो,
जय प्रकाश अस्पताल परिसर, भोपाल

पत्र क्रमांक / 16 / प्रशा. / 2018 / 25
प्रति

भोपाल, दिनांक 21/08/2018

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
जिला बैतूल, रायसेन, सीहोर, विदिशा, इन्दौर, धार, बुरहारपुर, खरगोन, उज्जैन, देवास,
मंदसौर, रतलाम, ग्वालियर, मुरैना, गुना, सागर, छतरपुर, रीवा, सीधी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा।

विषय :- आयुष्मान भारत म.प्र. के अंतर्गत अगस्त 2018 से चिन्हांकित जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में क्रियांवयन के संबंध में प्रशिक्षण।

आयुष्मान भारत, म.प्र. के क्रियांवयन के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि 27 अगस्त 2018 से द्वितीय चरण में उपरोक्त उल्लेखित जिलों के शासकीय चिकित्सालयों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर क्रियांवित किया जाए।


उपरोक्त शासकीय चिकित्सालयों के लिए एक OIC भी रहेंगे, जोकि आयुष्मान भारत के क्रियांवयन का पर्यवेक्षण करेंगे तथा चिकित्सालय और शासन के मध्य समन्वय स्थापित कर योजना का सफल क्रियांवयन करावेंगे। संलग्न सूची अनुसार।

उपरोक्त पायलट प्रोजेक्ट के तहत चिन्हांकित शासकीय अस्पतालों के निम्न अधिकारी/कर्मचारियों का प्रशिक्षण दिनांक 25.08.2018 को प्रातः 09:30 बजे से 05:00 बजे तक, आडिटोरियम प्रशासन अकादमी शाहपुरा भोपाल में आयोजित किया गया है। कृपया निम्नलिखित अधिकारी अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे :-

- 1/ सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
- 2/ RMO
- 3/ एक सिनियर चिकित्सक
- 4/ जिला मलेरिया अधिकारी
- 5/ एक आयुष्मान मित्र
- 6/ एक सहायक कर्मचारी जोकि I.T का ज्ञान रखते हो।
- 7/ जिले के OIC

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक एक Laptop, Dongle तथा IPD के 10 प्रकरण समपूर्ण केस हिस्ट्री के साथ आवश्यक रूप से साथ लाए।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।



(रूही खान)

कार्यपालन अधिकारी
आयुष्मान भारत मध्य प्रदेश

भोपाल, दिनांक 21/08/2018

पृ. क्रमांक./2018/16/26

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, म.प्र., भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र. भोपाल।
3. आयुक्त, स्वास्थ्य संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा सतपुड़ा भवन, भोपाल।
5. संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
6. संचालक, चिकित्सा शिक्षा सतपुड़ा भवन, भोपाल।
7. समस्त क्षेत्रिय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र।
8. समस्त संबंधित नोडल अधिकारी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


कार्यपालन अधिकारी
आयुष्मान भारत मध्य प्रदेश